

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

प्रशासनिक आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश संख्या-33/2022, (संदर्भित माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-2427/LXXXVII-CPC/e.Courts/Allahabad, Dated 16-01-2022) दिनांकित 16.01.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, लखनऊ में कार्यरत दाण्डिक न्यायालयों के विद्वान पीठासीन अधिकारियों के रोटेशन के आधार पर कार्य व्यवस्था एवं उनके प्रभारी के रूप में पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत की जाती है, जो आज दिनांक 17.01.2022 से प्रभावी होगी :-

समूह-क

क्र. सं.	पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय का नाम	कार्य दिवस
1.	श्री रवि कुमार गुप्त , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ।	सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
2.	श्रीमती भव्या तिवारी , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-25, लखनऊ।	सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
3.	श्री अभिषेक खरे , अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-28, लखनऊ।	सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
4.	श्री शान्तनु त्यागी , अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-29, लखनऊ।	सोमवार, मंगलवार, बुधवार
5.	श्री कृष्ण मोहन पाण्डेय , न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय, लखनऊ।	सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
6.	श्री सागर सिंह , सिविल जज, (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय, लखनऊ।	सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
7.	सुश्री समृद्धि मिश्रा , विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी.बी.आई., लखनऊ।	सोमवार, मंगलवार, बुधवार,

समूह-ख

क्रम सं.	पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय का नाम	कार्य दिवस
1.	श्री सुनील कुमार, VI , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ।	बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार
2.	श्री सत्यवीर सिंह , विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी.बी.आई.(अयो.प्र.) लखनऊ।	बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार
3.	श्री अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव , अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-27, लखनऊ	बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार
4.	श्रीमती निहारिका जायसवाल , अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-30, लखनऊ।	बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार
5.	श्रीमती प्रियंका गांधी , न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, लखनऊ।	बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार
6.	श्रीमती यशा शर्मा , विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी.बी.आई.(प्रदूषण), लखनऊ।	बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार
7.	श्री तारिफ मुस्तफा खान , अपर सिविल जज, (जू0डि0), / न्यायाधीश, वर्चुवल न्यायालय, लखनऊ	बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार


धारा-167 व 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता के रिमाण्ड पूर्व की भाँति चलता रहेगा जो अधिकारी रोस्टर में उपस्थित रहेंगे, वे अपने प्रभारी अधिकारी का कार्य देखेंगे।

महिला अधिकारियों द्वारा धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान रोस्टर के अनुसार अंकित किया जायेगा।

प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, लखनऊ पूर्व की भौति न्यायिक कार्य सम्पादित करती रहेंगी।

नोट:- यदि कोई पीठासीन अधिकारी किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उसका कार्य उसके प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।


दिनांक 17.01.2022


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को प्रेषित :-

- 1- माननीय जिला जज, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 2- मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समस्त सम्मानित पीठासीन अधिकारीगण को अनुपालनार्थ।
- 3- श्रीमान् पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
- 4- श्रीमान् अध्यक्ष, सेन्द्रल बार एसोसियेशन, लखनऊ।
5. श्रीमान् अध्यक्ष, लखनऊ बार एसोसियेशन, लखनऊ।
6. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, अभियोजन, लखनऊ।

दिनांक 17.01.2022


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।